भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 518
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को धनराशि का आवंटन

518. श्री राधेश्याम राठियाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान रायगढ़, जशपुर और सारंगढ़ जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में उपलब्ध कराए गए नल-जल कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने उक्त मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) उक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आवंटित धनराशि क्रमशः 2223.98 करोड़ रुपये और 4485.60 करोड़ रुपये है।

(ख) रायगढ़, जशपुर और सारंगढ़ जिलों के ब्लॉकों में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। विवरण जेजेएम डैशबोर्ड के माध्यम से पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं जिसे निम्न वेबलिंक का उपयोग करके देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिसके अनुसार, 2,394.07 करोड़ रुपये (अथ शेष: 158.79 करोड़ रुपये और भारत सरकार द्वारा जारी निधि: 2,223.98 करोड़ रुपये) की उपलब्ध निधि में से राज्य ने 2,110.58 करोड़

रुपये के उपयोग की सूचना दी है। 2023-24 के लिए, अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

(च) पूरे देश में जेजेएम की आयोजना और तीव्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य संपूर्णता योजना और वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा विद्यालयों में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 518 में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: नल जल कनेक्शनों का विवरण

जिला	ब्लॉक	प्रदान किए नल जल कनेक्शनों का विवरण	
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
रायगढ़	बारमकेला**	3,585	-
	धरमजयगढ़	6,673	23,249
	घरघोडा	3,573	5,619
	खरसिया	6,121	8,338
	लैलूंगा	1,786	15,920
	पुसोर	9,099	13,485
	रायगढ़	10,658	8,663
	सारंगढ़*	5,272	-
	तमनार	1,608	11,457
जशपुर	बगीचा	6,071	19,170
	दुलदुला	1,710	6,072
	जशपुर	3,855	4,909
	कांसाबेल	4,051	7,144
	कुनकुरी	6,192	7,396
	मनोरा	2,712	5,780
	पत्थलगांव	8,696	22,184
	फरसाबहार	6,407	10,020
सारंगढ़	बारामकेला**	-	24,345
	बिलाईगढ़	-	24241
	सारंगढ़*	-	34600

* वर्ष 2022-23 में बिलाईगढ़ ब्लॉक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का हिस्सा था।

** बरमकेला और सारंगढ़ ब्लॉक वर्ष 2022-23 में रायगढ़ जिले में थे तथा वर्ष 2023-24 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का हिस्सा थे।